पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

विविध अपील संख्या. 414/2015

==========

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय उप निदेशक, प्लॉट सं.47, सेक्टर-34, हीरो होंडा चौक के पास, गुड़गांव-122001 (हरियाणा) के माध्यम से।

.... अपीलकर्ता/ओं

बनाम

1. श्री निवास सिंह, पुत्र रामनाथ सिंह
2. कुम्मी देवी उर्फ खोमनी देवी, पत्नी श्री निवास सिंह,

   दोनों निवासी गाँव-पानापुर, डाकघर-सिजानपुर, थाना-धनसोई, जिला-बक्सर, वर्तमान में गाँव-बडयोगा, थाना-नोखा, जिला-रोहतास
3. मेसर्स ऋचा एंड कंपनी ने महानिदेशक प्लॉट संख्या 192, चरण-1, उद्योग बिहार, गुड़गांव के माध्यम से।

.... उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थितिः

अपीलार्थी/ओं के लिए	:	श्री सुधीर कुमार बिजपुरिया, अधिवक्ता
		श्री अनिल कुमार गुप्ता, अधिवक्ता
उत्तरदाता/ओं के लिए	:	श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता

==========

कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923--- धारा 4ए, 30(1)(ए)--- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (ईएसआई अधिनियम)--- धारा 38, 53, 61--- कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के तहत आयुक्त का अधिकार क्षेत्र--- विद्वान उप श्रम आयुक्त-सह-आयुक्त

कर्मकार प्रतिकर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश के खिलाफ बीमा निगम द्वारा दायर अपील, जिसके द्वारा उन्होंने बीमा निगम/अपीलकर्ता के खिलाफ मृत्यु प्रतिकर के रूप में 6,45,840/- रुपये जमा करने का आदेश पारित किया था।

निष्कर्ष: ईएसआई अधिनियम की धारा 53 में बनाए गए प्रतिबंध को लागू करने के लिए, व्यक्ति को ईएसआई अधिनियम के तहत बीमित कामगार होना चाहिए और उसे चोट लगनी चाहिए, व्यावसायिक बीमारी होनी चाहिए या ऐसी चोट या बीमारी के कारण उसकी जान चली गई होनी चाहिए और ये सब उसके रोजगार के दौरान उत्पन्न हुए होंगे --- ईएसआई अधिनियम की धारा 61 ईएसआई अधिनियम के अलावा किसी अन्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत रोजगार के लिए मुआवजे का दावा करने पर रोक लगाती है --- कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि ईएसआई अधिनियम की धारा 53 द्वारा बनाए गए प्रतिबंध को देखते हुए, कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत दावेदार द्वारा दायर मुआवजे के लिए आवेदन पोषणीय नहीं है --- ईएसआई अधिनियम जिसने कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923 को उन क्षेत्रों में प्रतिस्थापित किया है जहां इसे लागू किया जाता है, कामगार मुआवजा अधिनियम की तुलना में कहीं अधिक व्यापक है और मुआवजे के दायरे को बढ़ाता है --- जब मृतक कामगार के नियोक्ता ने एक विशिष्ट रुख अपनाया था कि मृतक ईएसआई अधिनियम द्वारा कवर किया गया था, तो यह स्पष्ट नहीं है कि विद्वान आयुक्त उस अधिकार क्षेत्र को कैसे पकड़ सकता है जो उसके पास नहीं है कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के तहत --- विद्वान आयुक्त ने ईएसआई अधिनियम की धारा 53 और 61 के तहत प्रावधानों पर विचार नहीं किया था और तदनुसार, दावेदार कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा करने के हकदार नहीं हैं --- आक्षेपित आदेश को रद्द किया गया --- अपील स्वीकार की गई। ***(पैरा- 17-21)***

1996(4) एससीसी 255 .....***पर भरोसा किया गया।***

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

समक्षः माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील दत्ता मिश्रा

सी. ए. वी. निर्णय

तारीखः29-10-2024

इन आरईः- आई. ए. सं. 8790/2015

पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और आवेदन में दिए गए कथनों पर विचार करने के बाद, आई.ए. संख्या 8790/2015 (सीमा याचिका) की अनुमति दी जाती है और वर्तमान विविध अपील दायर करने में देरी को क्षमा किया जाता है।

आरईः-विविध अपील सं. 414/2015

2. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

3. यह विविध अपील कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा क्षेत्रीय उप निदेशक (इसके बाद 'बीमा निगम' के रूप में संदर्भित) के माध्यम से कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 की धारा 30 (1) (ए) के तहत दायर की गई है, (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) विद्वान उप श्रम आयुक्त-सह-आयुक्त कामगार मुआवजा, मगध डिवीजन, गया, (इसके बाद 'आयुक्त' के रूप में संदर्भित) द्वारा सीडब्ल्यूसी केस संख्या 30/2006 में पारित दिनांक 11.03.2015 के आदेश से व्यथित होकर, जिसके द्वारा उन्होंने बीमा निगम/अपीलकर्ता के खिलाफ 6,45,840 /- रुपये जमा करने का आदेश पारित किया था। बीमा निगम/अपीलार्थी को आदेश की तिथि से

30 दिन के भीतर उक्त राशि जमा कराने का निर्देश दिया गया है तथा यदि निर्धारित अवधि के भीतर मुआवजे की उक्त राशि जमा नहीं कराई जाती है, तो बीमा निगम/अपीलार्थी कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 की धारा 4ए के तहत देय तिथि से वसूली तक 12% *प्रति वर्ष* की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

4. दावेदारों (प्रतिवादी संख्या 1 और 2) का मामला संक्षेप में यह है कि स्वर्गीय सुनील कुमार मेसर्स रिचा एंड कंपनी (प्रतिवादी संख्या 3) में लाइन सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत थे, अपनी नौकरी के दौरान वे बीमार पड़ गए और उन्हें ईशान अस्पताल, इंडाहेड़ा, गुडगांव में भर्ती कराया गया। जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई। मृतक की जन्म तिथि 12.03.1979 थी, यानी काम के दौरान बीमारी के कारण उनकी मृत्यु के समय उनकी आयु 26 वर्ष थी, इसलिए वे मुआवजा पाने के हकदार हैं।

5. प्रतिवादी संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 3, मेसर्स रिचा एंड कंपनी ने मेसर्स रिचा एंड कंपनी के प्रबंधन की ओर से अपना लिखित बयान/उत्तर दाखिल किया और प्रारंभिक आपत्तियां उठाईं कि मृतक कर्मचारी श्री सुनील कुमार ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत आते थे और वे केवल ईएसआई कॉरपोरेशन (अपीलकर्ता) से लाभ पाने के हकदार हैं, न कि कंपनी के प्रबंधन, प्रतिवादी संख्या 3 से और कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के प्रावधानों के तहत दायर दावा पूरी तरह से अस्थिर है और बनाए रखने योग्य नहीं है। आयुक्त के पास दावे के आवेदन पर विचार करने का कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है।

6. इसमें आगे कहा गया कि मृतक कर्मचारी श्री सुनील कुमार 01.02.2005 से कंपनी के प्रत्युत्तरदायी प्रबंधन के परिवीक्षाधीन रोजगार में लगे हुए थे और

10.05.2005 तक काम किया और उसके बाद 11.05.2005 से अनाधिकृत रूप से नौकरी छोड़ दी और खुद की नौकरी छोड़ दी और अपनी बीमारी के बारे में कभी नहीं बताया। कंपनी के प्रबंधन को स्वर्गीय सुनील कुमार की मृत्यु के बारे में आवेदकों/दावेदारों द्वारा 01.08.2005 को जारी मांग नोटिस प्राप्त होने पर पता चला जिसमें अर्जित मजदूरी, भविष्य निधि, बोनस आदि के भुगतान का अनुरोध किया गया था। पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में, प्रबंधन ने बकाया राशि कुल 2,891/- रुपये का भुगतान किया।

7. बीमा निगम/अपीलकर्ता आयुक्त के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, तदनुसार इस मामले में बीमा निगम के विरुद्ध *एकपक्षीय* सुनवाई की गई।

8. दावा याचिका के समर्थन में दावेदारों ने श्री निवास सिंह और महेंद्र सिंह से पूछताछ की, और अपने साक्ष्य में उन्होंने दावे का पूर्ण समर्थन किया। दावे के मामले की सुनवाई के दौरान दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए, जैसे मेसर्स रिचा एंड कंपनी का पहचान पत्र, बीमा निगम द्वारा जारी पहचान पत्र और वेतन पर्ची।

9. अभिलेख के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वत आयुक्त ने दावा याचिका तथा गवाहों के साक्ष्य और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों पर विचार करते हुए दिनांक 01.03.2011 के आदेश के तहत माना कि मृतक सुनील कुमार उर्फ सुनील प्रतिवादी मेसर्स रिचा एंड कंपनी, गुड़गांव का कर्मचारी था, जिसका ईएसआई, गुड़गांव कार्ड बना हुआ था। तदनुसार, वह ईएसआई, गुड़गांव के अंतर्गत आता है, इसलिए दावेदारों को ईएसआई निगम, गुड़गांव के समक्ष अपने मुआवजे का दावा करने का निर्देश दिया गया था। दिनांक 07.04.2011 के पत्र के तहत उक्त आदेश मेसर्स रिचा एंड कंपनी को सहयोग करने तथा अपीलकर्ता का सही पता उपलब्ध कराने के लिए भी भेजा गया था। अभिलेख से यह भी प्रतीत होता है कि दिनांक 13.10.2011 के पत्र के

तहत दावेदारों ने आयुक्त को ईएसआई निगम (अपीलकर्ता) का सही पता बताया तथा अनुरोध किया कि दिनांक 01.03.2011 के उक्त आदेश की सही प्रति पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजी जाए।

10. अपीलकर्ता ने जवाब में, विद्वान आयुक्त और दावेदारों को दिनांक 03.07.2012 के पत्र द्वारा सूचित किया कि सुनील कुमार की मृत्यु 01.06.2005 को सामान्य अस्पताल, गुड़गांव में टीबी के कारण हुई थी। आश्रितों को लाभ उन लोगों को दिया जाना चाहिए जिनकी दुर्घटना रोजगार के दौरान या उससे उत्पन्न हुई हो, जो इस मामले में लागू नहीं है और दावेदार किसी भी ईएसआई लाभ के हकदार नहीं हैं।

11. उपरोक्त तथ्यों के बावजूद, आश्चर्यजनक रूप से, दावेदारों ने मामले की पुनः सुनवाई के लिए दिनांक 19.11.2014 को आयुक्त के समक्ष एक याचिका दायर की, जिसमें गलत बयान दिया गया कि मामले में कोई आदेश पारित नहीं किया गया। उक्त याचिका पर, अभिलेखों का अवलोकन किए बिना ही यंत्रवत् मामले को बहस के लिए नियत कर दिया गया तथा मृतक के संबंध में दावेदारों को मुआवजा देने के लिए आयुक्त द्वारा जारी किए गए दिनांक 01.03.2011 के पिछले आदेश तथा अपीलकर्ता को संबोधित दिनांक 02.07.2013 के पत्र संख्या 401 सहित अभिलेख पर मौजूद अन्य सामग्रियों पर विचार किए बिना दिनांक 11.03.2015 का नया आदेश (आक्षेपित आदेश) पारित कर दिया गया।

12. विद्वान आयुक्त ने दिनांक 11.03.2015 के विवादित आदेश के अनुसार माना कि मृतक मेसर्स रिचा एंड कंपनी के अधीन काम करने के दौरान बीमार पड़ गया और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मृतक की मृत्यु के समय कर्मचारी राज्य बीमा निगम, गुड़गांव (अपीलकर्ता) में बीमा था, जिसका पहचान पत्र संख्या 11024794, कर्मचारी कोड 13-31669 और कर्मचारी राज्य बीमा संख्या 11099250 थी।

इसलिए, दावेदार 6,45,840/- (3,000 x 215.28 रुपये) के मुआवजे के हकदार थे क्योंकि मृतक की आयु 26 वर्ष थी और 215.28 का गुणक लगाने के बाद वह 6,000 रुपये प्रति माह कमा रहा था। आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर उप श्रमायुक्त-सह-आयुक्त, कामगार मुआवजा, मगध प्रमंडल, गया के नाम से देय अकाउंट पेयी चेक/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से मुआवज़ा राशि का भुगतान करने की जिम्मेदारी कर्मचारी राज्य बीमा निगम, गुड़गांव की है। यदि आदेशित मुआवज़ा राशि निर्धारित अवधि के भीतर जमा नहीं की जाती है, तो श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 की धारा 4 ए के तहत देय तिथि से भुगतान की तिथि तक कुल मुआवज़ा राशि पर 12% वार्षिक ब्याज देय होगा।

13. अपीलार्थी/बीमा निगम के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि विद्वान आयुक्त ने अपने पहले के आदेश दिनांक 01.03.2011 पर विचार नहीं किया, जिसमें दावेदारों को मृतक के मुआवजे के लिए अपना दावा याचिका ईएसआई निगम, गुड़गांव के समक्ष रखने का निर्देश दिया गया था और साथ ही अपीलकर्ता द्वारा विद्वान आयुक्त के समक्ष दिनांक 03.07.2012 के पत्र के माध्यम से बताए गए तथ्यों पर विचार किए बिना ही, इस प्रकार आरोपित आदेश अनुमानों और अटकलों पर आधारित है। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान आयुक्त ने ईएसआई अधिनियम की धारा 53 और 61 पर विचार नहीं किया था क्योंकि ईएसआई के तहत बीमित व्यक्ति अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत किसी भी मुआवजे या नुकसान का दावा करने का हकदार नहीं होगा और अन्य अधिनियम के तहत किसी भी लाभ का दावा करने पर रोक है। उन्होंने **ए. त्रेहान बनाम एसोसिएटेड इलेक्ट्रिकल एजेंसियां और अन्य** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया। **(1996) 4 एससीसी 255** में रिपोर्ट किया गया। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया है कि

विद्वान आयुक्त ने मुआवजा राशि देने में गलती की थी और विवादित आदेश पारित करते समय अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ गए थे।

14. दूसरी ओर प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि दावेदार मृतक के माता-पिता हैं जो मेसर्स रिचा एंड कंपनी के कर्मचारी थे और अपीलकर्ता/बीमा निगम के साथ बीमाकृत थे, इसलिए दावेदार मुआवजे की राशि के हकदार हैं। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए विद्वान आयुक्त ने आदेश पारित किया है जिसमें इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम सामाजिक कल्याण कानून है और इसलिए, इसके प्रावधानों का लाभकारी निर्माण किया जाना चाहिए ताकि कर्मचारियों को कानून के लाभ से वंचित न किया जा सके। अधिनियम की योजना के तहत, कामगार मुआवजा आयुक्त तथ्यों पर अंतिम प्राधिकारी है और अपील का दायरा सीमित है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

15. इस अपील में निर्णय लिया जाने वाला विधि का महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि *"क्या विद्वान आयुक्त ईएसआई अधिनियम की धारा 53 और 61 के प्रावधानों के आलोक में अपने अधिकार क्षेत्र के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति पर विचार करने में विफल रहे हैं और क्या दावेदार कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा करने के हकदार हैं?"*

16. विद्वान अधिवक्ता की बात सुनने, उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वन्द्वियों पर विचार करने तथा अभिलेखों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान आयुक्त ने अभिलेखों में उपलब्ध सामग्री के आधार पर दिनांक 01.03.2011 को आदेश पारित किया था तथा उसमें यह माना था कि मृतक सुनील कुमार प्रतिवादी संख्या 3 का

कर्मचारी था तथा उसका ईएसआई कार्ड बना हुआ था, इसलिए दावेदारों को ईएसआई अधिनियम के तहत अपीलकर्ता से मुआवज़ा मांगने का निर्देश दिया गया था। यह स्पष्ट है कि आयुक्त के अनुसार, जो दिनांक 01.03.2011 के उक्त आदेश से परिलक्षित होता है, दावेदार श्रमिक मुआवज़ा अधिनियम के तहत मुआवज़ा पाने के हकदार नहीं थे, लेकिन वे ईएसआई अधिनियम के तहत लाभ का दावा कर सकते हैं। जांच करने पर, अपीलकर्ता ने पाया कि यह किसी रोजगार चोट का मामला नहीं था। दावेदार को 01.03.2011 के आदेश और अपीलकर्ता के निर्णय का ज्ञान था, लेकिन उसने आयुक्त के समक्ष गलत बयान दिया कि कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, जिसके कारण विद्वान आयुक्त द्वारा 01.03.2011 के पिछले आदेश की अनदेखी करते हुए उक्त विवादित आदेश पारित किया गया। विद्वान आयुक्त ने पिछले अंतिम आदेश की अनदेखी करते हुए नियमित और आकस्मिक तरीके से विवादित आदेश पारित किया और विवादित आदेश का निष्कर्ष गलत है। विद्वान आयुक्त ने ईएसआई अधिनियम की धारा 53 और 61 के प्रावधानों की भी अनदेखी की, जो कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के तहत रोजगार चोट के लिए मुआवजे का दावा करने पर रोक लगाता है।

17. ईएसआई अधिनियम की धारा 53 में बनाए गए प्रतिबंध को लागू करने के लिए, व्यक्ति को ईएसआई अधिनियम के तहत बीमित कामगार होना चाहिए। उसे चोट लगनी चाहिए, व्यावसायिक बीमारी होनी चाहिए या ऐसी चोट या बीमारी के कारण उसकी जान चली जानी चाहिए और ये चोट उसके रोजगार के दौरान या उसके दौरान लगी होनी चाहिए। ऐसी चोट को वैधानिक रूप से रोजगार चोट के रूप में जाना जाता है। ईएसआई अधिनियम की धारा 61 ईएसआई अधिनियम के अलावा किसी अन्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत रोजगार के लिए मुआवजे का दावा करने पर रोक लगाती है। ईएसआई अधिनियम की धारा 61 में अधिनियमित कानूनों का उल्लेख है, जबकि ईएसआई अधिनियम की धारा 53 एक विशेष अधिनियमित कानून, अर्थात्

कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923 और अन्य कानूनों, अर्थात् असंहिताबद्ध कानून/सामान्य कानून के बारे में बात करती है। ईएसआई अधिनियम की धारा 53 और 61 को एक साथ पढ़ने पर, ऐसा प्रतीत होता है कि वे न केवल अधिनियमित कानूनों के तहत बल्कि गैर-अधिनियमित, असंशोधित कानूनों के तहत भी रोजगार क्षति के लिए मुआवजे का दावा करने पर रोक लगाते हैं।

18. कानून में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईएसआई अधिनियम की धारा 53 द्वारा बनाए गए प्रतिबंध के मद्देनजर, दावेदार द्वारा श्रमिक मुआवजा अधिनियम के तहत दायर मुआवजे के लिए आवेदन स्वीकार्य नहीं है। **ए. त्रेहन बनाम एसोसिएटेड इलेक्ट्रिकल एजेंसियों** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **1996(4) एससीसी 255** में रिपोर्ट की कि ईएसआई अधिनियम औद्योगिक श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा की एक योजना शुरू करने के उद्देश्य से बनाया गया था। इसके द्वारा परिकल्पित योजना अनिवार्य राज्य बीमा में से एक है जो मौसमी कारखानों के अलावा अन्य कारखानों में काम करने वाले या काम के सिलसिले में काम करने वाले श्रमिकों को बीमारी, मातृत्व और रोजगार की चोट की स्थिति में कुछ लाभ प्रदान करती है। ईएसआई अधिनियम जिसने उन क्षेत्रों में श्रमिक मुआवजा अधिनियम, 1923 को प्रतिस्थापित किया है जहां इसे लागू किया गया है, श्रमिक मुआवजा अधिनियम की तुलना में कहीं अधिक व्यापक है और मुआवजे के दायरे को बढ़ाता है। धारा 38 में प्रावधान है कि कारखानों या प्रतिष्ठानों में सभी कर्मचारी जिन पर ईएसआई अधिनियम लागू होता है, उन्हें इसमें दिए गए तरीके से बीमा किया जाएगा।

पैराग्राफ संख्या 11 और 12 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे निम्न टिप्पणी की:-

*" **11.** दोनों अधिनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों की तुलना से यह स्पष्ट होता है कि दोनों अधिनियम किसी कामगार/कर्मचारी को उसके रोजगार के दौरान हुई दुर्घटना के कारण हुई व्यक्तिगत चोट के लिए मुआवजे का प्रावधान करते हैं। ईएसआई एक बाद का अधिनियम है और इसका कवरेज व्यापक है। यह अधिक व्यापक है। यह कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत कामगार को मिलने वाले मुआवजे से भी अधिक मुआवजे का प्रावधान करता है। ईएसआई अधिनियम के तहत एक कर्मचारी को मिलने वाले लाभ कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत मिलने वाले लाभों से अधिक पर्याप्त हैं। एकमात्र नुकसान, अगर इसे नुकसान कहा जा सकता है, तो यह है कि उसे ईएसआई अधिनियम के तहत समय-समय पर भुगतान के माध्यम से मुआवजा मिलेगा न कि कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत एकमुश्त राशि में। भले ही यह मान लिया जाए कि इस संबंध में कामगार को कामगार मुआवज़ा अधिनियम के तहत बेहतर अधिकार प्राप्त है, लेकिन विधानमंडल के पास उस अधिकार को छीनने या संशोधित करने का विकल्प खुला था। ईएसआई अधिनियम को लागू करते समय विधानमंडल का इरादा किसी कर्मचारी को उसके रोजगार के दौरान दुर्घटनावश लगी चोट के लिए मुआवज़े का दावा करने के लिए कोई दूसरा उपाय और मंच बनाने का नहीं हो सकता था।*

***12.** इस पृष्ठभूमि और संदर्भ में हमें ईएसआई अधिनियम की धारा 53 द्वारा बनाए गए प्रतिबंध के प्रभाव पर विचार करना होगा। प्रतिबंध, रोजगार की चोट के संबंध में श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत किसी भी मुआवजे या क्षति को प्राप्त करने या वसूलने के खिलाफ है। प्रतिबंध पूर्ण है जैसा कि शब्दों के उपयोग से देखा जा सकता है कि "चाहे बीमित व्यक्ति के नियोक्ता से या किसी अन्य व्यक्ति से", "कोई मुआवजा या क्षति" और "कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 (1923 का 8) या किसी अन्य कानून के तहत या अन्यथा" प्राप्त करने या वसूलने का हकदार नहीं होगा। "विधानमंडल द्वारा नियोजित" शब्द स्पष्ट और असंदिग्ध हैं। जब इस तरह का प्रतिबंध स्पष्ट और स्पष्ट शब्दों में बनाया जाता है तो कानून के पिछले इतिहास का हवाला देकर किसी अलग इरादे का अनुमान लगाना न तो स्वीकार्य होगा और न ही उचित होगा। यह प्रतिबंध को दरकिनार करने और प्रावधान के उद्देश्य को विफल करने के बराबर होगा। धारा की स्पष्ट भाषा को देखते हुए हमें इसकी व्याख्या करने या यह मानने में कोई औचित्य नहीं लगता कि यह कर्मचारी के अधिकार को छीन नहीं रहा है जो ईएसआई अधिनियम के तहत एक बीमाकृत व्यक्ति और कर्मचारी है और कर्मचारी मुआवज़ा अधिनियम के तहत मुआवज़ा का दावा करने का अधिकार रखता है। हमारा मानना है कि*

उच्च न्यायालय ने यह सही माना कि धारा 53 द्वारा बनाए गए प्रतिबंध के मद्देनजर अपीलकर्ता द्वारा कर्मचारी मुआवज़ा अधिनियम के तहत दायर मुआवज़े के लिए आवेदन स्वीकार्य नहीं था।

(जोर दिया गया)

19. यह आश्चर्य की बात है कि विद्वान आयुक्त ने मामले पर निर्णय देने की कार्यवाही तब की, जब ईएसआई अधिनियम की धारा 53 और 61 के संदर्भ में ऐसा करने पर कानूनी रोक थी। जब मृतक कर्मचारी के नियोक्ता ने यह स्पष्ट रुख अपनाया था कि मृतक ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत आता है, तो यह स्पष्ट नहीं है कि विद्वान आयुक्त ने उस अधिकार क्षेत्र को कैसे पकड़ रखा है, जो उनके पास कर्मचारी मुआवज़ा अधिनियम के तहत नहीं है।

20. स्पष्ट कानूनी स्थिति और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, यह माना जाता है कि विद्वान आयुक्त ने ईएसआई अधिनियम की धारा 53 और 61 के प्रावधानों पर विचार नहीं किया था और तदनुसार, दावेदार कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा करने के हकदार नहीं हैं।

21. तदनुसार, आरोपित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अतः, सी.डब्लू.सी. केस संख्या 30/2006 में विद्वान आयुक्त द्वारा पारित दिनांक 11.03.2015 का आरोपित आदेश अपास्त किया जाता है।

22. वर्तमान विविध अपील स्वीकार की जाती है।

23. लागत के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं होगा।

24. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा किया जाएगा।

25. सी.डब्लू.सी. केस संख्या 30/2006 का न्यायालय अभिलेख सम्बन्धित न्यायालय/प्राधिकरण को तुरन्त वापस कर दिया जाए।

(सुनील दत्ता मिश्रा, न्यायमूर्त्ति)

ऋतिक/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।